VIDHAN SABHA QUESTION
IMMEDIATE/OUT TODAY

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF FOOD, SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS
K-BLOCK, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002
(POLICY BRANCH)

No. F.2(15)/DLA/MS/P&C/F&S/2015/535 Dated: 8/8/2017

To

The Dy. Secretary (Question Branch)
Delhi Legislative Assembly
Old Secretariat, Delhi-54

Sub: **Delhi Legislate Assembly Unstarred Question No. 116 asked by Sh.Vijender Gupta, MLA due for answer on 09.08.2017.**

Sir,

With reference to above cited subject, I am directed to forward herewith 100 copies of reply of the above stared question, duly authenticated by the Competent Authority.

Yours faithfully,

(R.K. SAXENA)
ASSTT. COMMISSIONER (P&C)

Encl:As above.

No. F.2(15)/DLA/MS/P&C/F&S/2017 Dated:

Copy forwarded to :-

1. The Director, Directorate of Information and Publicity, Government of NCT of Delhi, Old Secretariat, Delhi along with 150 copies of the reply of above referred DLA Starred question of distribution of the House.

(R.K. SAXENA)
ASSTT. COMMISSIONER (P&C)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग (नीति शाखा)
के–ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी.एस्टेट,
नई दिल्ली – 110002

अतारांकित प्रश्न संख्या :–116
दिनॉक :–09/08/2017
प्रश्नकर्त्ता का नाम :–श्री विजेन्द्र गुप्ता
क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या यह सत्य है कि केन्द्र सरकार के चीनी पर सब्सिडी खत्म करने के फैसले पर दिल्ली सरकार ने दिल्ली में बी.पी.एल. कार्ड धारकों को चीनी पर सब्सिडी समाप्त कर दी है;	जी हॉ ।
(ख) क्या यह भी सत्य है कि सरकार अन्तोदय कार्ड धारकों को चीनी पर 6 किलो की बजाए केवल 1 किलो पर सब्सिडी दे रही है;	जी हॉ ।
(ग) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली सरकार इन 2.92 लाख गरीब परिवारों को पुराने हिसाब से सब्सिडी जारी रखती है तो केवल 34 करोड़ रूपये का अतिरिक्त बोझ बहन करना पड़ेगा;	जी हॉ ।
(घ) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली सरकार को गेहूँ तथा चावल पर दिल्ली के कार्ड धारकों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 1100 करोड़ रूपये की सब्सिडी दी जाती है; और	दिल्ली में गेहू और चावल एनएफएस एक्ट में निर्धारित दर पर (2रू. और 3रू. प्रति किलो) पर एफसीआई से प्राप्त होता है । गेहू और चावल की यह दर लाभार्थियों से प्राप्त की जाती है । दिल्ली सरकार, **Handling** एवं **Transportation** पर निम्नलिखित दर से खर्चा वहन करती है:– एएवाई 15 रू. प्रति क्विंटल पीआरएस 30 रू. प्रति क्विंटल पीआर 60 रू. प्रति क्विंटल इसके अतिरिक्त 70 रू. प्रति क्विंटल मार्जिन मनी उचित दर दुकानदारों को दिया जाता है । उपरोक्त मदों पर एक निश्चित दर तक आधा भाग केन्द्र सरकार से प्राप्त होता है ।
(ड.) क्या दिल्ली सरकार इन गरीबों के लिए 34 करोड़ रूपये चीनी की सब्सिडी के वहन करने की मंशा रखती है ?	ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । हांलाकि दिल्ली सरकार ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर पुरानी व्यवस्था जारी रखने का अनुरोध किया है ।

K. R. MEENA, I.A.S.
Secretary-Cum-Commissioner
Deptt. of Food, Supplies & Consumer Affairs
Govt. of N.C.T. of Delhi
K-Block, Vikas Bhawan I.P. Estate,